न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 25/2014, जिला दौसा

1. घासीलाल मीणा पुत्र स्वर्गीय गोविन्द नारायण मीणा, निवासी ग्राम तितरवाला, रामबास, तहसील व जिला दौसा मूल निवासी ग्राम काकरेल ढाणी, नांगल कोडिया, तंग खोरा मीणा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री किशन पुत्र नेहनू,
2. श्री गंगाधर पुत्र नेहनू,
3. श्री छोटू पुत्रान स्वर्गीय नेहनू, जाति मीणा, निवासी ग्राम तितरवाडाकला, रामबास, तहसील व जिला दौसा।
4. श्रीमती कजोडी बेवा स्वर्गीय नेहनू (मृतक)

4/1. केसरी पुत्री नेहनू धर्मपत्नी जयनारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम दूडकी, तहसील बसवा, जिला अलवर।

5. श्री चौथमल पुत्र श्री दयाचन्द (मृतक),

5/1. श्री लल्लू,

5/2. श्री रमेश,

5/3. श्री ख्यालीराम,

5/4. श्री सुरेश पुत्रान स्वर्गीय श्री चौथमल, जाति मीणा, निवासी ग्राम तिरवाडाकला, रामबास, तहसील व जिला दौसा।

5/5. श्रीमती रामबाई बेवा श्री चौथमल, निवासी ग्राम तितरवाडाकला, रामबास, तहसील व जिला दौसा ।

5/6. श्रीमती प्रेम पुत्री चौथमल धर्मपत्नी श्री बाबूलाल

5/7. सीमा पुत्री चौथमल धर्मपत्नी श्री पुरण, जाति मीणा, ग्राम पंचायत टोडारायसिंह, तहसील राजगढ, जिला अलवर।

5/8. श्रीमती मथुरी पुत्री चौथमल, धर्मपत्नी श्री किशनचन्द, निवासी ग्राम पंचायत निमला, ग्राम बस्सी, तहसील जमवारामगढ,

5/9. श्रीमती शान्ति पुत्री चौथमल, (मृतक),

5/9/1. रामेश मीणा,

5/9/2. जयनारायण मीणा पुत्रान शान्ति,

5/9/3. कविता मीणा पुत्री शान्ति, जाति मीणा, निवासी ग्राम निमला, ग्राम बस्सी, तहसील जमवारामगढ।

6. श्री कल्याण पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभातिया, निवासी ग्राम तितरवाडाकला, रामबास, तहसील व जिला दौसा।
7. श्री घमण्डी पुत्र स्व0 प्रभातिया (मृतक)

7/1. सेडी पुत्री प्रभातिया धर्मपत्नि श्री कन्हैयालाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम काला खो, तहसील दौसा जिला दौसा।

8. बलराम,
9. (दौराने अपील मृतक आदेश दिनांक 28.06.2022) लालाराम नाबालिग पुत्र स्वर्गीय श्री घासी
10. श्री रिंकू नाबालिग पुत्र स्वर्गीय श्री घासी जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका एवं माता श्रीमंती कसनी, निवासी ग्राम तितरवाडाकला, रामबास, तहसील व जिला दौसा।

10/1. कविता/नाबालिग पुत्री घासी जरिये प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती कसनी निवासी ग्राम तितरवाडाकला, रामबास, तहसील व जिला दौसा।

11. श्रीमती किशनी बेवा स्वर्गीय श्री घासी, जाति मीणा, निवासी ग्राम तितरवाडाकला रामबास, तहसील व जिला दौसा।
12. श्री लक्ष्मण,
13. श्री लोहड्या,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

14. श्री झूंथा पुत्रान स्व. श्री छीतर, जाति मीणा, निवासी ग्राम तितरवाडाकलां, रामबारा, तहसील व जिला दौसा।
15. श्री रामप्रताप पुत्र स्व0 श्री छीतर (मृतक),
15/1. श्री शांति पुत्री स्वर्गीय श्री छीतर धर्मपत्नि श्री राधाकृष्ण, जाति मीणा, निवासी ग्राम दयालपुरा, तहसील व जिला दौसा।
15/2. श्रीमती मूली स्वर्गीय श्री छीतर धर्मपत्नी श्री राधाकृष्ण, जाति मीणा, निवासी ग्राम दयालपुरा, तहसील व जिला दौसा।
16. भैरू पुत्र श्री हुक्मा, (मृतक)
16/1. श्री छोटेलाल उर्फ धोलू पुत्र स्व0 श्री भैरू, जाति मीणा, निवासी ग्राम तितरवाडा रामवास, तहसील व जिला दौसा।
16/2. श्रीमती सन्तो, पुत्री स्वर्गीय श्री भैरू, धर्मपत्नि श्री रामवतार, जाति मीणा, ग्राम आखेडी, तहसील बसवा, जिला दौसा।
17. श्री रामेश्वर,
18. श्री राकेश पुत्रान बद्री,
19. (दौराने अपील मृतक आदेश दिनांक 2.08.2022) श्री खेलन्ता पुत्र श्री बद्री,
20. श्रीमती लाडा बेवा श्री बद्री, जाति मीणा, निवासी ग्राम तितरवाडाकला, रामबास, तहसील व जिला दौसा।
21. श्री कल्याणसहाय,
22. श्री रामस्वरूप,
23. श्री हरी पुत्रान स्वर्गीय श्री मूल्या, जाति मीणा, निवासी ग्राम तितरवाडाकला, रामबास, तहसील व जिला दौसा।
24. श्री गोपाल पुत्र श्री नारायण,
25. श्री मूल्या पुत्र श्री चन्द्रया, जाति मीणा, निवासी ग्राम तितरवाडाकला, रामवास, तहसील व जिला दौसा।
26. श्रीमती रूकमणी, धर्मपत्नी श्री टूण्डाराम पुत्री मूल्या, जाति मीणा, निवासी परोता का वास, तहसील व जिला दौसा।
27. श्रीमती कैलाशी, धर्मपत्नी श्री नारायण पुत्री मूल्या, जाति मीणा, निवासी परोता,का वास, तहसील व जिला दौसा।
28. श्रीमती काली धर्मपत्नी श्री गिरधारी पुत्री श्री नारायण, जाति मीणा, निवासी परोता का वास, तहसील व जिला दौसा।
29. श्रीमती काली धर्मपत्नी श्री वाबूलाल पुत्री श्री नारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम धानावाड, तहसील बसवा, जिला दौसा।
30. श्रीमती छोटू धर्मपत्नी श्री बाबूलाल पुत्री श्री नारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम धानावाड, तहसील बसवा, जिला दौसा।
31. श्रीमती भोती धर्मपत्नी श्री रामखिलाडी पुत्री श्री नारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम खेडा, तहसील व जिला दौसा।
32. श्रीमती मेवा धर्मपत्नी श्री मक्खन लाल पुत्री श्री नारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम खेडा, तहसील व जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्टस

33. श्री मंगलराम,
34. श्री रामखिलाडी पुत्रान प्रभात, जाति मीणा, निवासी ग्राम तितरवाडा कलां, मूल निवासी ग्राम गुढालिया, तहसील बसवा, जिला दौसा।
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा तहसील व जिला दौसा।

– प्रारूपिक रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 12.11.2014 जिसके द्वारा अपील संख्या 10/2019 उनवानी मूल्या बनाम नारायण व अन्य को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 20.2.2010 को निरस्त कर दिया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित–
1. श्री विजय सिंह राठौड, वकील अपीलान्ट
2. श्री प्रदीप कुमार विजय, रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 6
3. श्री सी.एल.मीना, रेस्पोडेन्ट नं. 25
4. रेस्पोडेन्ट नं 2,3,8,9, 11 से 14, 16 से 24, 26 से 35, 5/2, 5/6 से 5/9, 5/4, 4/1, 7/1, 10/1, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 5/9/1 से 5/9/3 बाद तामिल अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक –12.10.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 12.11.2014 के खिलाफ दिनांक 2.12.2014 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार दौसा ने दिनांक 20.02.2010 को ग्राम तीतरवाडा कलां की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 434 अपीलान्ट के नाम तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 20.02.2010 के खिलाफ रेस्पोडेन्टस द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपीलान्ट के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी। जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2014 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर यह आदेश दिये गये कि नामान्तरकरण संख्या 434 पर तहसीलदार दौसा को कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं होने से उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2010 क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया जाना माना जाता है, जिसे निरस्त किया जाता है। तहसीलदार दौसा को प्रकरण पर नियमानुसार विधि प्रक्रिया अनुरूप कार्यवाही सम्पादित करने के निर्देश पारित किये गये हैं।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम तीतरवाडा कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 147 रकबा 0.24 हैक्टे0, 148 रकबा 0.10 हैक्टे0, 189 रकबा 0.21 हैक्टे0, 190 रकबा 0.80 हैक्टे0 , 196 रकबा 0.51 हैक्टे0, 197 रकबा 0.12 हैक्टे0, 417 रकबा 0.26 हैक्टे0, 716 रकबा 1.90 हैक्टे0, 717 रकबा 0.48 हैक्टे0, 793 रकबा 0.28 हैक्टे0, 794 रकबा 0.25 हैक्टे0, 796 रकबा 0.11 हैक्टे0, 797 रकबा 0.22 हैक्टे0, 798 रकबा 0.16 हैक्टे0, 800 रकबा 0.61 हैक्टे0, 801 रकबा 0.83 हैक्टे0 एवं 802 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 7.97 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 24 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 42 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, 119 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा एवं 220 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा थे, के मूल खातेदार काश्तकार कान्हा पुत्र मुकन्दा कौम मीणा थे जिनका एकीकरण से पूर्व देहान्त होने की वजह से तहसील दौसा में सम्वत 2003 से 2022 की अवधि के लिए हुए एकीकरण के दौरान आधार वर्ष की जमाबंदी सम्वत 2019 में नानगा दत्तक पुत्र कान्हा मीणा अंकित है। भूमि विवादग्रस्त के सम्वत 2019 अर्थात वर्ष 1962 की जमाबन्दी में नानगा दत्तक पुत्र श्री कान्हा मीणा के कोई पुत्र संतान ना होने के कारण दिनांक 8.9.1978 को उन्होंने अपने नाम अंकित खातेदारी की भूमियों के सम्बन्ध में पंजीकृत वसीयत तहरीर एवं तकमील कर अपनी एकमात्र संतान पुत्री श्रीमति भौंरी देवी धर्मपत्नी श्री प्रभात्या मीणा निवासी ग्राम गुढलया, तहसील बसवा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जो नानगा के देहान्त के बाद भूमि विवादग्रसत की खातेदारी काश्तकार समस्त राजस्व भू–अभिलेखों में अंकित की गई। श्रीमती भौरी देवी के देहान्त के बाद विरासत के नामान्तरकरण के जरिये भूमि विवादग्रस्त को प्रारूपिक रेसपोडेन्ट संख्या 33 व 34 के नाम अंकित किया गया और वर्ष 1999 में स्वीकृत किये गये उक्त नामान्तरकरण के पश्चात प्रारूपिक रेसपो. संख्या 33 व 34 समस्त राजस्व भू–अभिलेखों में बहैसियत खातेदार काश्तकार अंकित चले आ रहे हैं इस प्रकार भूमि विवादग्रस्त प्रारूपिक रेसपोडेन्ट संख्या 33 व 34 को अपनी माँ एवं नाना से विरासत में प्राप्त हुई और पीढि दर पीढि समस्त राजस्व भू–अभिलेखों में अविवादित रूप से अभिलिखित खातेदार तथा मौके पर वास्तविक रूप से काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं। प्रारूपिक रेसपो. संख्या 33 व 34 ने अपने नाम खातेदारी में अंकित उपरोक्त वर्णित भूमि को दिनांक 4.5.2006 को पंजिकृत विक्रय

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जयपुर

पत्र के द्वारा अपीलार्थी को विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर नियमानुसार विक्रय की गई भूमि का कब्जा काश्त मौके पर भौतिक रूप से संभला दिया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण अंकित कर अपीलार्थी को राजस्व भू-अभिलेखों में बहैसियत खातेदार अंकित किया जाना विधिक प्रक्रिया के तहत आवश्यकीय है और इसी क्रम में दिनांक 20.2.2010 को अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण संख्या 434 स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 32 जिनका अथवा जिनके हकपूर्वाधिकारियों का उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त के मूल खातेदार स्व0 कान्हा पुत्र मुकन्दा तथा नानगा दत्तक पुत्र कान्हा से कोई सम्बन्ध एवं सरोकर नहीं है, नहीं अपीलार्थी द्वारा भूमि वादग्रस्त को क्रय करने के पश्चात भूमि विवादग्रस्त को लेकर आपस में अर्थात अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बिना ही केवल मात्र विक्रेतागण को पक्षकार बनाकर उपखण्ड अधिकारी दौसा एवं सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दौसा के समक्ष दावे एवं आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर एकपक्षीय निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिये जिनकी जानकारी होने पर अपीलार्थी ने उपरोक्त मुकदमों में पक्षकार बनकर अपना पक्ष न्यायालयों के समक्ष रखा तो रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत की गई अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को दिनांक 5.2.2010 को निरस्त कर दिये जाने पश्चात नियमानुसार दिनांक 20.2.2010 को अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम स्वीकृत किया गया। रेस्पोडेन्टस को भूमि विवादग्रस्त में कोई उत्तराधिकारी अधिकार प्राप्त नहीं है किन्तु फिर भी आधारहीन वाद प्रस्तुत करने के साथ-साथ अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 434 के विरूद्ध दिनांक 25.2.2010 को एक अपील विद्वान अधिनस्थ जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की जिसे विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों के विपरीत स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.2.2010 को स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 434 के विरूद्व तथाकथित रूप से असम्बन्धित व्यक्तियों ने अपील प्रस्तुत की तथा सम्पूर्ण अपील में ना तो उनके द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण से पीडित व्यक्ति होने को कोई आधार अंकित किया और ना ही सिद्व ही कर पाये उल्लेखनीय है कि अपील में अंकित तथ्यों में एक भी लाईन तहसीलदार दौसा के क्षेत्राधिकार के तहत विधिवत स्वीकृत किये अंकित नहीं की है किन्तु फिर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपील को तहसीलदार दौसा को क्षेत्राधिकार ना होने के आधार पर स्वीकार कर कतई विधि विरूद्व एवं विवेक विहीन निर्णय पारित किया है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी मूल अपील में कुल 17 अपीलान्ट थे जो विचारण के दौरान बढकर 26 हो गये उल्लेखनीय है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अंकित अपीलान्ट संख्या 1 से 5 सजरा खानदान में ही नहीं है तथा 6 से 17 अपीलान्ट स्व. कान्हा के तथाकथित भाई भुवाना की छठी पीढी की सन्तानें हैं जो किसी भी अवस्था में हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत स्व. कान्हा के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं। दूसरी ओर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को यह विधिक प्रश्न तय करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है किन्तु फिर भी विधि के समस्त सुस्थापित सिद्वान्तों को नजर अन्दाज करते हुए रेस्पोडेन्टस को अनुचित लाभ पहुंचाने के कुत्सित उद्देश्य से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया जिससे रेस्पोडेन्टस किसी भी अवस्था में पीडित पक्षकार नहीं हो सकते है और ना ही हैं किन्तु फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील को नियमित वाद के रूप में निर्णित किया है। वास्तविकता में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के नियम 133 के तहत पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना एक बाध्यकारी प्रक्रिया मात्र है जिससे किसी भी व्यक्ति के कोई अधिकार अन्यथा प्रभावित नहीं होने के बावजूद भी अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपने निहित क्षेत्राधिकार का गंभीर दुरूपयोग किया है। उल्लेखनीय है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे मौजूदा रेस्पोडेन्टस स्व0 श्री कान्हा या नानगा के विधिक उत्तराधिकारी होना प्रतीत होते हो, किन्तु फिर भी समानान्तर आदेश पारित कर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने गंभीर अनियमितता एवं अवैधानिक निर्णय पारित किया है। नामान्तरकरण जैसी Summary Proceeding एवं Fiscal Entries है, जिसमें उत्तराधिकारी के अधिकारों जैसे गंभीर विषय को निर्णित नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत भूमि का विक्रय पत्र रजिस्टर्ड किया गया है। कब्जा

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रदान किया जाता है। विभिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन दावा में विक्रय पत्र को चुनौती नहीं दी गई है। अपीलान्ट की स्थाई निषेधाज्ञा खारिज हो चुकी है। सिविल न्यायालय की टी आई खारिज हो गयी है। विक्रय पत्र 45 दिवस में ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। तहसीलदार इससे पूर्व भी नामान्तरकरण भर तस्दीक कर सकता है। नामान्तरकरण तस्दीक करते समय कोई स्टे प्रभावशाली नहीं था। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपर जिला एवं सेशन दौसा के यहाँ दीवानी विविध अपील संख्या 7/2011 उनवानी मूल्या व अन्य बनाम नारायण व अन्य की गयी थी। जिनके द्वारा दिनांक 30.08.2013 को निर्णय किया जा चुका है। जिसमें उनके द्वारा उनकी अपील खारिज की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 12.11.2014 न्यायालय जिला कलक्टर दौसा को निरस्त किया जावे तथा नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 20.2.2010 बहाल फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपरोक्त विवादित भूमि पूर्व में काना पुत्र मुकन्दा जाति मीणा के नाम थी। काना पुत्र मुकन्दा, जाति मीना निवासी तीतरवाडा कलां के आज तक जीवित वारिस रेस्पोडेन्ट व नारायण, मूल्या पिता चन्दर्‌या जाति मीणा है। उक्त काना पुत्र मुकन्दा के उपर वर्णित भूमि व इस भूमि में बने हुए मकान पर रेस्पोडेन्ट नारायण, मूल्या पिता चन्दर्‌या का मौके पर कब्जा है। नानगा पुत्र लालू जाति मीना निवासी राजगढ कलेसिया का रहने वाला है। उक्त नानगा को कभी काना पुत्र मुकन्दा ने गोद नहीं लिया। उक्त व्यक्ति द्वारी तीतरवाडा में जमीन खरीदने का कोई प्रमाण नहीं है। एकीकरण खतौनी संवत 2019 में आ0ख0नं0 211 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा का सहखातेदार नानगा पत्र लालू अंकित है। नानगा के ख0नं0 211 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा का हिस्सा 1/3 का विक्रय पत्र दिनांक 21.8.1978 को नारायण मूल्या पिता चंदा के हक में कर दिया। एकीकरण के दौरान फर्जीवाडा करके नानगा पुत्र लालू ने बिना काना पुत्र मुकन्दा के गोद लिये फर्जी पुत्र बनकर काना पुत्र मुकन्दा की भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम खातेदारी इन्द्राज करवा लिया। उक्त भूमि के संबंधमें एक दावा मूल्या नारायण पिता चंदर्‌या द्वारा किया गया। उनवानी नारायण बनाम मंगला का न्यायालय उप जिला कलेक्टर दौसा में विचाराधीन है। विवादित भूमि के संबंध में एक दावा सिविल न्यायाधीश क0ख0 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा की अदालत में विचाराधीन है। दिनांक 26.07.06 को तहसीलदार दौसा को जवाब भिजवाने हेतु एडीएम दौसा द्वारा पत्र जारी किया गया। जिसमें संवत 2063–66 खाता संख्या 134 में मंगलराम, रामखिलाडी पि0 प्रभात निवासी गुडलिया तहसील बसवा के नाम उक्त खातेदारी की भूमि दर्ज रिकॉर्ड होना बताया। जिसका विक्रय पत्र उप पंजीयक दौसा ने उक्त भूमि श्री घासीराम पुत्र गोविंद नारायण निवासी कांकरेल ढाणी मेवालाल कोठ्या ग्राम खोहरा कलां, तहसील आमेर के पक्ष में तस्दीक कराया गया। जिसका नामान्तरकरण दायर नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर दिये बिना व बिना जॉच किये निर्णय पारित किया गया है। किसी भी न्यायालय में प्रकरण पेण्डिंग होने की स्थिति में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। न्यायालय उप जिला कलेक्टर दौसा के दावे में अनुतोष नं0 2 विक्रय पत्र को खारिज करवाने हेतु चाहा गया है। नामान्तरकण भरने के 45 दिवस तक ग्राम पंचायत को अधिकार है। ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2014 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख 434 पर तहसीलदार दौसा को कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं होने से उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2010 क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया जाना माना जाकर निरस्त किया गया है एवं तहसीलदार दौसा को प्रकरण पर नियमानुसार विधि प्रक्रिया अनुरूप कार्यवाही सम्पादित करने के निर्देश पारित किये गये हैं।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित भूमि प्रारूपिक रेस्पो. संख्या 33 व 34 ने अपने नाम खातेदारी में अंकित उपरोक्त वर्णित भूमि को दिनांक 4.5.2006 को पंजिकृत विक्रय पत्र के द्वारा अपीलान्ट

Scanned with OKEN Scanner

घासीलाल मीणा को विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय की गई भूमि का कब्जा काश्त मौके पर भौतिक रूप से संभला दिया। रेसपोडेन्ट संख्या 1 लगायत 32 द्वारा अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बिना ही केवल मात्र विक्रेतागण को पक्षकार बनाकर उपखण्ड अधिकारी दौसा एवं सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड दौसा के समक्ष दावे एवं आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर एकपक्षीय निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिये जिनकी जानकारी होने पर अपीलार्थी ने उपरोक्त मुकदमों में पक्षकार बनकर अपना पक्ष न्यायालयों के समक्ष रखा तो रेसपोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत की गई अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को दिनांक 5.2.2010 को निरस्त कर दिये जाने के पश्चात नियमानुसार दिनांक 20.2.2010 को अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण तस्दीक करते समय कोई स्टे प्रभावशाली नहीं था। तहसीलदार दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही नामान्तरकरण को स्वीकार करने में कोई अनियमितता प्रमाणित नहीं होती है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी प्रारूपिक रेसपोडेन्ट संख्या 33 व 34 की खातेदारी की भूमि थी। विवादित भूमि का मंगलराम व रामखिलाडी निर्विवाद खातेदार था तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ही उक्त नामान्तरकरण खोला गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत प्रकरण में अपील का मुख्य आधार विवादित भूमि पर कब्जा एवं गोद लिया जाना बताया गया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि कथित गोदनामा का निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। कथित गोदनामा के आधार पर यदि अपीलांट के कोई अधिकार होते हैं तो उनका निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। वास्तविकता में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के नियम 133 के तहत पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना एक बाध्यकारी प्रक्रिया मात्र है। प्रारूपिक रेस्पो. संख्या 33 व 34 ने अपने नाम खातेदारी में अंकित उपरोक्त वर्णित भूमि को दिनांक 4.5.2006 को पंजिकृत विक्रय पत्र के द्वारा अपीलान्ट घासीलाल मीणा को विक्रय की गयी थी। उक्त भूमि के संबंध में एक दावा मूल्या नारायण पिता चंदर्या द्वारा दिनांक 21.12.2005 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के यहां किया गया था। चूंकि प्रकरण विवादित नामान्तरकरण का था। विवादित नामान्तरकरण को राजथान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) में नामान्तरकरण खोलने में तहसीलदार सक्षम है। तहसीलदार दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही नामान्तरकरण को स्वीकार करने में कोई अनियमितता प्रमाणित नहीं होती है। नामान्तरकरण एक fiscal proceeding हैं, जिसमें अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2014 उचित प्रतीत नहीं होता है, जो विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

<u>अतः आदेश है कि</u>: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 12.11.2014 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा का निर्णय दिनांक 20.02.2010 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner